निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 72/2024
दायरा दिनांकः—21.08.2024
निर्णय दिनांकः— 23.09.2025

उनवान

1. प्रेमबाई आयु 65 वर्ष बेवा छीतरलाल उर्फ नन्दकिशोर जाति धोबी निवासी नदी दरवाजा ज़ैन मन्दिर के पास छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. मीना आयु 38 वर्ष पुत्री छीतरललाल उर्फ नन्दकिशोर जाति धोबी निवासी नदी दरवाजा जैन मन्दिर के पास छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. टीना आयु 32 वर्ष पुत्री छीतरलाल उर्फ नन्दकिशोर जाति धोबी निवासी नदी दरवाजा जैन मन्दिर के पास छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. राजुकमार आयु 32 वर्ष पुत्र छीतरलाल उर्फ नन्दकिशोर जाति धोबी निवासी नदी दरवाजा जैन मन्दिर के पास छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. रीना आयु 30 वर्ष पुत्री छीतरलाल उर्फ नन्दकिशोर जाति धोबी निवासी नदी दरवाजा जैन मन्दिर के पास छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. पवन आयु 27 वर्ष पुत्र छीतरलाल उर्फ नन्दकिशोर जाति धोबी निवासी नदी दरवाजा जैन मन्दिर के पास छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. सूरज आयु 24 वर्ष पुत्र छीतरलाल उर्फ नन्दकिशोर जाति धोबी निवासी नदी दरवाजा जैन मन्दिर के पास छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. काजल आयु 22 वर्ष पुत्री छीतरलाल उर्फ नन्दकिशोर जाति धोबी निवासी नदी दरवाजा जैन मन्दिर के पास छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. करन आयु 20 वर्ष पुत्र छीतरलाल उर्फ नन्दकिशोर जाति धोबी निवासी नदी दरवाजा जैन मन्दिर के पास छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. लटुर आयु 65 वर्ष पुत्र पांचीलाल जाति चमार निवासी ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. मोहनलाल आयु 62 वर्ष पुत्र पांचीलाल जाति चमार निवासी ग्राम गोडियामेहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 23.09.2025

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री प्रदीप कुमार भार्गव — प्रार्थी
2. श्री बालमुकन्द खण्डेलवाल — अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि कस्बा छबडा तहसील छबडा में भूमि खसरा नम्बर 145 रकबा 1.9223 है0 भूमि स्थित है। इस भूमि का हिस्सा 47/152 रकबा 1.9223 हैक्टेयर के स्व0 नन्दकिशौर उर्फ छीतरलाल जाति धोबी निवासी छबड़ा तहसील छबडा खातेदार कृषक थे नन्दकिशौर उर्फ छीतरलाल का देहान्त हो चुका है प्रार्थीगण मृतक नन्दकिशौर उर्फ छीतरलाल के उत्तराधिकारी हे इस भूमि को वाद पत्र में वाद ग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। नन्दकिशौर उर्फ नन्दकिशौर उर्फ छीतरलाल की ऑखों की रोशनी बचपन से खराब थी उन्हे ईलाज कराने के बावजूद भी ऑखो से भूली प्रकार से दिखाई नहीं देता था सन् 2003 में प्रार्थी क्रम 01 के पति एवं प्रार्थी क्रम 2 ता 9 के पिता छीतरलाल उर्फ नन्दकिशौर अत्यधिक बीमार हो गये थे उनकी ऑखो की रोशनी पूर्णतया समाप्त हो चुकी थी और वह पलंग पर ही आराम करते थे इसी अवस्था में दिनांक 26/05/2019 को उनका देहान्त हो गया। वाद ग्रस्त भूमि को वह पॉती अथवा मुनाफा से काश्त पर करवाते आ रहे थे। माह अप्रैल सन् 2023 को वादीगण वाद ग्रस्त भूमि को देखने गये ता राजमल सोनी पुत्र मोहनलाल सोनी निवासी छबडा मिला उसने प्रार्थीगण से बात की तो उसने कहा कि यह भूमि तुम्हारी नही है इसको तुम्हारे पिता की सहमति से मेरे पास काम करने वाले लटूर पुत्र पॉचीलाल जाति चमार निवासी ग्राम गोडियामेहर तहसील छबड़ा को काश्त करने हेतु दे रखी हे जिसका मुनाफा काश्त पूर्व की भाँति देता रहेगा राजमल सोनी और नन्दकिशौर उर्फ छीतरलाल के अच्छे संबंध होने के कारण प्रार्थीगण उससे 50,000/– रूपये प्रति वर्ष मुनाफा काश्त के प्राप्त करते आ रहे थे। प्रार्थीगण के मिलने वालो के कहने पर प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि के खाते की नकल निकल वाई तो यह भूमि अप्रार्थी क्रमांक 01 के खातेदारी में दर्ज होना पाया गया बाद में पता चला कि राजमल सोनी से कूटरचित दस्तावेजात के माध्यम से वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी क्रम 01 के पति एवं प्रार्थी क्रम 2 ता. 9 के पिता के स्थान पर अपने पास काम करने वाले लटूर पुत्र पांचीलाल जाति चमार अप्रार्थी क्रमाँक 01 के नाम से दर्ज कराली हे प्रार्थी क्रम 01 के पति एवं प्रार्थी कम 2 ता 9 के पिता ने वाद ग्रस्त भूमि कभी अप्राथी क्रम 01 वो अथवा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की हे राजमल सोनी ने षडयंत्र पूर्वक धोखाधड़ी करने फर्जी और कूट रचित बेनामी संव्यवहार के दस्तावेज के द्वारा वाद ग्रस्त भूमि अपने पास काम करने वाल हाली के नाम खाते दर्ज कराली हे प्रार्थीगण द्वारा इस बाबत् पुलिस थाना छबता में दिनाक 05/07/2023 को रिपार्ट भी दर्ज कराई थी तथा न्यायालय छबडा में अभियोग पत्र भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थी क्रम 01 के पति एवं प्रार्थी क्रम 2 ता. 9 के पिता ने वाद ग्रस्त भूमि को कभी अप्रार्थी क्रम 01 अथवा अन्य किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की है यह भूमि अवैधानिक रूप से कूट रचित दस्तावेज के माध्यम से अप्रार्थी क्रम 01 के नाम खाते दर्ज हो गई है जो प्रार्थीगण के अधिकारों के लिए निष्प्रभावी है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का स्वंय को खातेदार कृषक घोषित करा कर अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। अप्रार्थी क्रम 01 वाद ग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी है प्रार्थीगण उसे वाद ग्रस्त भूमि से बेदखल करा कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद ग्रस्त भूमि आबादी भूमियो के मध्य में आ जाने से किमती हो गई हे वादीगण को पता चला कि अप्रार्थी क्रम 01 वाद ग्रस्त भूमि को भू माफियो के माध्यम से इस भूमि में आवासीय भूखण्डो का निर्माण करके उन्हें बेचान करना चाहता है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है यदि अप्रार्थी क्रम 01 ने इस भूमि के आवासीय भूमि के भूखण्ड बना कर बेचान कर दिया ता प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

काफी नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ती सर्वथा असंभव है इस प्रकार प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 01 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने क अधिकारी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2074–77 खख्या 374 नकल एफ.आई.आर. दिनांक 05.07. 2023 नकल परिवाद धारा 3 Sc/St एक्ट एवं 506 504 आई.पी.सी न्यायालय एस.डी.जे बारां नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 113 नकल नामान्तरण संख्या 1324 दिनांक 31.03.2004 पेश किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। जवाब में बताया कि विवादग्रस्त आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख अप्रार्थीगण को खातेदार नन्दकिशोर ने प्रतिफल राशि प्राप्त कर अप्रार्थीगण को दिनांक 17.07.2003 को बेचान की जा चुकी है। इस कारण उक्त आराजी के संबंध में माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार प्राप्त नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। खसरा नंबर 145 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा में से 02 बीघा 07 बिस्वा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 15.03.2004 को तथा दिनांक 17.07.2003 खसरा नंबर 145 की 07 बीधा 12 विस्वा में से 05 बीघा 05 बिस्वा आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दो लाख रुपए में पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर अप्रार्थीगण को बेचान की। जिस पर अप्रार्थीगण बेचान तिथि 17.07.2003 से शांतिपूर्ण तरीके से बतौर खातेदार स्वामी, काबिज है एवं काश्त करते चले आ रहे है। खातेदार नन्दकिशोर पुत्र श्यामलाल के विवादग्रस्त आराजी को वैध प्रतिफल राशि प्राप्त कर जर्ये रजिस्टर्ड विकय विलेख उपपंजीयन अधिकारी के यहां हस्ताक्षर कर निष्पादित करवाया है, जो पूर्णतया वैध एवं प्रभावी है। प्रार्थीगण के हकों तक किसी भी तरह निष्प्रभावी नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण कृषक घोषित होने के अधिकारी नहीं है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र अवधि बाह्य होने से खारिज किए जाने योग्य है। विवादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण दिनांक 17.07.2003 से बतौर रिकार्डेड खातेदार दर्ज होकर काबिज है एवं काश्त करते चले आ रहे हैं। जिसको काश्त करते चले आ रहे हैं। जिसको काश्त करते हुए 20 वर्षों से अधिक समय हो गया है। इस कारण प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र अवधि मध्य नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण के पिता की प्रार्थीगण के अभिवचन के अनुसार दिनांक 26.05.2019 को मृत्यु हो गई थी। प्रार्थीगण के पिता ने उसके जीवनकाल में अप्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित विकय विलेख के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की और न ही कोई वाद प्रस्तुत किया। इस कारण प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 26.05.2019 के होने के पश्चात प्रार्थीगण ने मिथ्या तथ्यों पर यह वाद माननीय न्यायालय में दिनांक 12.08.2024 को प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में विक्रय विलेख निरस्त करवाने का माननीय न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं होने से वाद/प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। विवादित आराजी वाके ग्राम कस्बा छबडा में स्थित है जिसमें हिस्सा 47/152 के स्व0 नन्दकिशोर उर्फ छीतरलाल धोबी खातेदार थें। खातेदार नन्दकिशोर उर्फ छीतरलाल का स्वर्गवास दिनांक 26.05.2019

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

हो गया था। विवाद ग्रस्त भूमि को पांती मुनाफा से काश्त करवातें आ रहे थें। अप्रार्थी क्रम 2 राजमल सोनी एवं खातेदार नन्दकिशोर के अच्छे संबंध होने के कारण राजमल सोनी के पास काम करने वाले लटुर अप्रार्थी को 50000 प्रति वर्ष मुनाफा काश्त कर देते थें अप्रार्थी क्रम 2 राजमल सोनी द्वारा कुट रचित दस्तावेज से अप्रार्थी क्रम 1 के नाम दर्ज करवा ली प्रार्थीगण के पूर्वज नन्दकिशोर उर्फ छीतरलाल द्वारा कभी किसी को भूमि का हस्तान्तरण नही किया। अप्रार्थीगण द्वारा कुटरचित दस्जावेज के माध्यम से अप्रार्थी क्रम 1 के नाम खातेदर्ज हो गई जो प्रार्थीगण के अधिकारों के लिए निष्प्रभावी है प्रार्थी उकत भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है अप्रार्थीगण अतिक्रमी है जिन्हे भूमि से बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है अप्रार्थीगण विवादित आराजी को आवासीय भूखण्डों का निर्माण कर उन्हे बेचान करना चाहता है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कृत्य किया तो प्रार्थीगण को काफी नुकसान होगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमाया जावें।

बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अप्रार्थी को खातेदार नन्दकिशोर ने प्रतिफल राशि प्राप्त कर अप्रार्थीगण को दिनांक 17.7.2003 को बेचान की जा चुकी है इस कारण उक्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार प्राप्त नही है अप्रार्थीगण बेचान तिथि दिनांक 17.07.2003 से शान्तिपूर्ण तरीकें से बतौर खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी पर दिनांक 17.07.2003 से बतौर खातेदार दर्ज है जिसको 22 वर्ष हो गयें है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अवधि मध्य नही होने से खारित योग्य है प्रार्थीगण के पिता की प्रार्थीगण के अभिवचन के अनुसार दिनांक 26.05.2019 को मृत्यु हो गयी थी प्रार्थीगण के पिता ने उनके जीवनकाल में अप्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख के संबंध में कोई आपत्ति नही की ओर ना ही कोई वाद प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी कस्बा छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 374 में मोहनलाल पुत्र पांचीलाल हिस्सा 105/152 लटुर पुत्र पांचीलाल हिस्सा 47/152 बतौर खातेदार दर्ज है नकल परिवाद धारा 3 Sc/St एक्ट एवं 506 504 आई.पी.सी न्यायालय एस.डी.जे बारां सुरज पंकज बनाम हितेश सोनी, राजमल सोनी के विरूद्ध पेश किया गया। नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 113 में नन्दकिशोर उर्फ छीतरलाल पुत्र श्यामलाल जाति धोबी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 13 में इन्तकाल संख्या 1285 दिनांक 23.07.2003 से खसरा नम्बर 141 की 1.02 बीघा भूमि मोहनलाल पुत्र पांचीलाल एवं खसरा नम्बर 145 रकबा 7.12 बीघा में नन्दकिशोर उर्फ छीतरलाल धोबी हिस्सा 47/152 व मोहनलाल पुत्र पांचीलाल चमार को हिस्सा 105/152 दर्ज करने का नोट अंकित है। नामान्तरण संख्या 1324 दिनांक 31.03.2004 से खसरा नम्बर 145 रकबा 47/152 पर नन्दकिशोर उर्फ छीतरलाल धोबी के स्थान पर लटुर पुत्र पांचीलाल चमार हिस्सा 47/152 पर नाम दर्ज करने का नोट अंकित है नकल नामान्तरण संख्या 1324 दिनांक 31.03.2004

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

[redacted]दार नन्दकिशोर ने खसरा नम्बर 145 में अपना हिस्सा 47/152 जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय लटुर पुत्र पांचीलाल जाति चमार को बेचान करने पर दर्ज किया गया प्रस्तुत रिकार्ड से यह साबित होता है कि खातेदार नन्दकिशोर द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा भूमि का बेचान किया गया है। प्रार्थीगण के अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में प्रस्तुत साक्ष्य/सबूतों के आधार पर किया जाएगा परन्तु प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज़ किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)